जारी किया

फा. सं0 ई-11002-3/2014- हिन्दी
गृह मंत्रालय
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

पश्चिमी खंड सं.-1, विंग सं. 5,
दिनांक – 04-08-2017.

परिपत्र

विषय :- स्वापक (नारकोटिक्स) से संबंधित हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में 1 जनवरी, 2014 से हिंदी में स्वापक संबंधी विषयों पर मौलिक पुस्तक लिखने पर नकद पुरस्कार योजना आरंभ है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लिखी गई पुस्तकों के लिए प्रविष्टियां पुन: आमंत्रित की जाती हैं। स्मरण दिलाया जा रहा है कि इसमें हिंदी में स्वापक संबंधी विषयों पर **मौलिक पुस्तकों** को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी में प्रकाशित पुस्तक पर विचार किया जाएगा। **पुरस्कार के लिए पुस्तक की सूचनापरकता, उपयोगिता और रचनात्मकता के आधार पर विचार किया जाएगा।**

1. इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक **भाग ले सकता** है।
2. पुस्तक का विषय स्वापक से संबंधित यथा निम्न आदि हो सकता है:
   क) ड्रग्स के खतरों के विरूद्ध अभियान,
   ख) ड्रग्स की आदत के कारण और समाधान,
   ग) भारत और विश्व में ड्रग्स के अवैध व्यापार की प्रवृत्तियां।

2. पुरस्कारों की राशि राजभाषा विभाग के नवीनतम मानकों (2015-16 से लागू) के अनुसार अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमश: 1,00,000 रू., 75,000 रू., 60,000 रू. एवं 30,000 रू. रखी गई है।

3. इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की वेबसाइट *www.narcoticsindia.nic.in* पर देखी जा सकती है।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ताजहसन
04/08/17

(ताज हसन)
उप महानिदेशक (मुख्या.)
दूरभाष: 011- 26181090

सेवा में,

1. **संलग्न सूची के अनुसार।**
2. **डीएवीपी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस सूचना को सभी प्रमुख दैनिक हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।**
3. **प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली को कृपया भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ।**
4. **उप निदेशक (नीति एवं समन्वय) - कृपया ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।**

नशे को 'ना' जीवन को 'हां'- नशीले पदार्थों का उपयोग एवं अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दंडनीय है।

(67)

सं0-ई 11002-3/2014-हिंदी

भारत सरकार

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

पश्चिमी खंड-1, विंग नं-5,
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली- 110066
दिनांक - 17/10/ 2014

परिपत्र

सरकार की राजभाषा नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रावधान है। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिन्दी में तैयार किया जाना चाहिए तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालय अपने कार्यों से संबंधित विषय-वस्तु पर लेख तथा पुस्तकें प्रकाशित करें। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्वापक (नारकोटिक्स) संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक नकद पुरस्कार योजना 1 जनवरी, 2014 से चलाने का निर्णय लिया है जिसका नाम **"केन्द्रीय स्वापक संबंधी हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना"** है।

योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

1. योजना से अभिप्राय है "स्वापक संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की पुरस्कार योजना।" स्वापक संबंधी विषयों को निम्नलि. ।त तीन श्रेणियों में रखा गया है:
   i. ड्रग्स के खतरों के विरूद्ध अभियान,
   ii. ड्रग्स की आदत के कारण और समाधान,
   iii. भारत और विश्व में ड्रग्स के अवैध व्यापार की प्रवृत्तियां,
2. योजना के अंतर्गत 'पुस्तक' से आशय प्रकाशित पुस्तक से है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या कम-से-कंम 100 होनी चाहिए।
3. **उद्देश्य:** योजना का उद्‌देश्य स्वापक संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में उच्च स्तर के महत्वपूर्ण सूचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक साहित्य के हिंदी में सृजन को प्रोत्साहन देना है।

66

4. <u>पुरस्कार</u>:

प्रथम पुरस्कार (एक)	:	50,000/- (पचास हजार रूपये)
द्वितीय पुरस्कार (एक)	:	40,000/- (चालीस हजार रूपये)
तृतीय पुरस्कार (एक)	:	25,000/- (पच्चीस हजार रूपये)
चतुर्थ पुरस्कार (एक)	:	15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये)

नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे।

5. <u>अवधि</u>: इस योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की होगी और पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए उस पुस्तक पर विचार किया जाएगा जिसका प्रकाशन उस वर्ष से पहले वाले वर्ष के दौरान हुआ हो। यह पुरस्कार योजना 01 जनवरी, 2014 से लागू है।

6. <u>पुरस्कार के लिए पात्रता एवं शर्तें</u>:

क) पुस्तक की विषय-वस्तु स्वापक से संबंधित उल्लिखित विषयों में से हो। इसमें
   i. ड्रग्स के खतरों के विरूद्ध अभियान,
   ii. ड्रग्स की आदत के कारण और समाधान, तथा
   iii. भारत तथा विश्व में ड्रग्स के अवैध व्यापार की प्रवृत्तियां आदि विषय शामिल होंगे।

ख) इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति भाग ले सकता है।

ग) यदि एक पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

घ) पहले से पुरस्कृत पुस्तकों को इस योजना में पुरस्कार के लिए **सम्मिलित नहीं** किया जाएगा।

ङ) पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। हस्तलिखित/टंकित पांडुलिपियां स्वीकार्य नहीं होंगी।

7. <u>मूल्यांकन समिति:-</u>

क) एक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा, जिसका गठन महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अनुमोदन से किया जाएगा। पुरस्कारों के निर्णय के लिए गठित निर्णायक समिति में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक (मु0), उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (राजभाषा), गृह

मंत्रालय के एक प्रतिनिधि एवं दो गैर सरकारी सदस्य (स्वापक क्षेत्र से संबंधित विद्वान) होंगे। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा किया जाएगा।

ख) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के अपने मानदण्ड निश्चित करेगी।

ग) मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सभी प्रकार से बाध्यकर होगा। किसी एक वर्ष में मूल्यांकन समिति इस आशय का निर्णय ले सकती है कि कोई भी प्रविष्टि पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा पुरस्कारों की संख्या चार से कम होगी।

घ) मूल्यांकन समिति के सदस्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदेय के अधिकारी होंगे।

ङ) मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्य नियमानुसार दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता पाने के पात्र भी होंगे।

8. सामान्य:-

क) पुरस्कार के निर्णय की सूचना औपचारिक पत्र द्वारा दी जाएगी।

ख) पुरस्कार निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

ग) पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होने के लिए पुरस्कार विजेता नियमानुसार दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।

घ) पुरस्कार के लिए भेजे जानी वाली प्रत्येक पुस्तक के साथ उसके लेखक द्वारा पुस्तक की मौलिकता से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।

ङ) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट अधिकार पुरस्कार प्राप्त करने पर भी बना रहेगा।

9. प्रविष्टि भेजने की विधि:

क) प्रविष्टियां संलग्न प्रपत्र में भेजी जानी अपेक्षित हैं।

ख) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी होंगी, जो वापिस नहीं की जाएंगी।

ग) एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां विचारार्थ भेज सकता है, बशर्ते कि उनकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हों तथा वे उसी वर्ष के दौरान प्रकाशित हों, जिस वर्ष के लिए इस पुरस्कार योजना की घोषणा की जाएगी।

(64)

घ) प्रविष्टियां निम्न पते पर परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुँच जानी चाहिए:-

महानिदेशक,
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
पश्चिमी खण्ड 1,विंग सं. 5
रामाकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली:110066

ङ) लिफाफे के ऊपर "केन्द्रीय स्वापक संबंधी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" अवश्य लिखें।

अत: सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक प्रविष्टियां भेजकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(डॉ. माधुरी गुप्ता)
उपनिदेशक (रा.भा.)
दूरभाष:011-26181805

(63)

प्रपत्र

"केन्द्रीय स्वापक संबंधी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना"

1 पुस्तक का नाम. ....

2 पुस्तक का विषय..

3 क) लेखक/लेखकों का नाम..

ख) पूरा पता..

ग) दूरभाष..

4 क) प्रकाशक का नाम...

ख) प्रकाशक का पूरा पता..

ग) मूल्य...

घ) प्रकाशन वर्ष...

ड) कॉपीराइट किसके अधीन है...

5 क्या पुस्तक को पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हॉ, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें:

क) किस वर्ष में भेजी गई..

ख) किसे भेजी गई (पूरा पता) ....

ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, यदि हॉ तो उसका ब्यौरा दें

....

6 मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि

क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।

ख) पुस्तक मेरे/ हमारे द्वारा मूल रूप में हिन्दी में लिखी गई है।

ग) मेरी/हमारी पुस्तक की इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि से कॉपीराइट अधिनियमों के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

62

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/ हम केन्द्रीय स्वापक संबंधी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के नियमों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.............................

नोट:

1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार से भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पश्चिमी खण्ड-1, विंग सं. 5, रामाकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली:110066 को भेजा जाए।
2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत् हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए।

स्थान ....

दिनांक.................